राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 10(9)उच्च शिक्षा / ग्रुप–3 / 2023 जयपुर, दिनांकः–23.06.2023

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु सं. 27.00.0 अर्थात् उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं शोध संवर्द्धन की दिशा में राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देश–विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में Research एवं Training की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से Teachers' Interface for Excellence(TIE) कार्यक्रम आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 500 शिक्षकों का चयन किया जायेगा।" की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु सं. 27.00.0 की क्रियान्विति हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकीय महाविद्यालयों / राजकीय पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षकों को देश–विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शोध एवं प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु Teachers' Interface for Excellence(TIE) योजना लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये अनुमानित राशि रूपये 23.50 करोड के व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आयुक्तालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त योजनान्तर्गत संबंधित बजट / नवीन बजट मद में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकेगा।
3. उक्त योजना का नॉडल विभाग अर्थात् आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर होगा। उक्त योजना का संचालन Rajasthan State Faculty Devlopment Academy द्वारा किया जायेगा। अकेडमी के कार्यशील होने तक योजना का संचालन प्रस्तावित Project Managment Unit द्वारा किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152301194 दिनांक 21.06.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मा. मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
8. शासन उप सचिव–II, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
9. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature valid
Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.06.23 17:25:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4121409

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.7 (4) बजट घोषणा / टाई / अकाद / आकाशि / 2023–05117 / 113 दिनांकः 03 जुलाई,2023

पृष्ठांकित 'प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय (चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त) राजस्थान।
3. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, आयोजना , कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड एवं सम्बन्धित को विश्वविद्यालय को ईमेल करने के हेतु।

(डॉ0 शैला महान)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक